

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक- 11-03-2019

विषय- श्री प्रेम आनन्द द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत खाता संख्या-08, 106(न्यू), खेसरा/सर्वे संख्या-3739, 3740 (न्यू), NH-57 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0342 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- आपका पत्रांक FC-186, दिनांक 26.02.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/35039/2018/2939, दिनांक 19.02.2019 द्वारा कुल 11 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ-

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.0342 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 21,410/- बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219935039743 कॉरपोरेशन बैंक, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 08.03.2019 को राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. HDFCR520190308681N6134 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
साथ ही मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
3. हरितावरण को बनाये रखने हेतु मेरे द्वारा कुल राशि रु० 5,17,112/- बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219935039743 कॉरपोरेशन बैंक, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 08.03.2019 को राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. HDFCR520190308681N6134 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
4. मेरे द्वारा NPV एवं क्षतिपूरक वनरोपण की राशि क्रमशः रु० 21,410.00 (+) रु० रु० 5,17,112.00 अर्थात् कुल रु० 5,38,522.00 की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर कॉरपोरेशन बैंक, New Delhi के खाता में दिनांक 08.03.2019 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
10. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
11. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर वन अच्छादन, वृक्ष संरक्षण एवं वन प्रावधान के संबंध में जारी दिशा-निर्देश का पूरी तरह से अनुपालन करूंगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

preem Anand

श्री प्रेम आनंद,

पिता-शिव नन्दन प्रसाद,

एट+पो.-तमौरिया, थाना-लकहिनोर,

जिला-मधुबनी, पिन-847410